26/10/2020

2017/00141

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं प्रार्थी ने दिनांक 22/10/2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी नवीन तथ्यों के प्रकाश में नवीन प्रार्थना पत्र करना चाहता है, अतः प्रार्थी को पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अधिकार के साथ प्रार्थना पत्र विड्रो किया जाने की इजाजत दिये जाने का आदेश फरमावे। हमने पत्रावली का अवलोकन कर प्रार्थना पत्र का अध्ययन कर गहनता से मनन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाने से स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी का नवीन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र विड्रो किए जाने के आदेश दिए जाते है। प्रकरण में पूर्व में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा अपास्त की जाती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विड्रो में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2020.11.03 11:13:36 IST
Reason: SelfAttested